-Fax.: (05452) 252244, 252344Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक: पू.वि.वि. / सम्बद्धता / 01-(एक) / 2018 / 2254
दिनांक : 08.12.18

सेवा में,

प्रबन्धक,
सुभाष विद्यामन्दिर महाविद्यालय, बहरियाबाद,
गाजीपुर।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 05.12.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1103(1) / सत्तर-6-2014-2(97) / 2014, दिनांक-01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में सुभाष विद्यामन्दिर महाविद्यालय, बहरियाबाद, गाजीपुर को **स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान** एवं **राजनीतिशास्त्र** विषयों में **सम्बद्धता समिति की संस्तुति दिनांक 29.11.2018 के आधार पर कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी द्वारा** निम्नलिखित शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2018 से** सम्बद्धता (स्थायी) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक-02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या-5267 / 70-2-2005-2(166) / 2002टी.सी. दिनांक-16.11.2005एवंशासनादेश संख्या-5125 / 70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. रिट याचिका संख्या-61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या-522 / सत्तर-2-2013-2(650) / 2012, दिनांक-30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
7. शासन के पत्र संख्या-12 / 2015 / 450 / सत्तर-2015-16 (33) / 2015, दिनांक-12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
8. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण-पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
9. महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.H.S.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय
08/12/18
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. उपकुलसचिव शैक्षणिक को आगामी कार्यपरिषद की बैठक में कार्यपरिषद के संज्ञानार्थ रखे जाने हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक / अतिगोपनीय / परीक्षा विभाग।
6. टेकिनकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव